न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 10/15 दायरा दिनांक 16.11.2015

पीठासीन अधिकारी :— श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रमेशचन्द पुत्र किशनलाल जाति सहरिया निवासी खैरूना तहसील किशनगंज जिला बारां।
2. रेवडीलाल पुत्र जमनालाल जाति सहरिया निवासी खैरूना तहसील किशनगंज जिला बारां।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र नारायण जाति सहरिया निवासी खैरूना तहसील किशनगंज जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां

— अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. श्री रामकिशन नागर, अभिभाषक प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू. आवंटन नियम

निर्णय दिनांक 30-7-19

पत्रावली पेष हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

वाके ग्राम बापोती में ख.नं. 6 की 5 बीघा आराजी स्थित है जिसको प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 31.05.2000 को अप्रार्थी क्रम 1 को अवैधानिक तरीके से किया गया है अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया आवंटन नियमों की अवेहलना करके किया जाने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी क्रम 1 के खाते में 10 बीघा भूमि होते हुये भी अप्रार्थी क्रम 1 ने आवंटन फार्म में तथ्यों को छिपाकर उक्त आराजी का आवंटन कपट पूर्वके करवा लिया आवंटन फार्म में जिस जमीन को आवंटन करवाने के लिए आवेदन किया था वह रकबा मात्र 2 बीघा ही था लेकिन आवंटन कमेटी ने 5 बीघा का आवंटन गैर कानूनी तरीके से कर दिया था, न तो आवंटन के पूर्व और न ही आवंटन के बाद अप्रार्थी क्रम 1 का विवादित भूमि पर कभी कब्जा रहा है। और न ही वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 का विवादित भूमि पर कब्जा है, कयोंकि विवादित भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटन से पूर्व प्रार्थीगण के पिता किशनलाल एवं जमनालाल काबिज थे तथा उनके मरणोपरान्त प्रार्थीगण उक्त भूमि पर आज दिन तक काबिज काश्त हैं आवंटन शर्तो के अनुसार किसी भी आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष 50 प्रतिषत भूमि तथा आवंटन के बाद दूसरे वर्ष में शेष सम्पूर्ण भूमि पर काष्त करना अनिवार्य है। लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 ने इन आवंटन शर्तो का पालन नहीं किया गया है। तो आवंटी का आवंटन निरस्त किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भी आवंटी अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त शर्तो

का उल्लघंन किया गया है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 का आवंटन निरस्त किया जाना अनिवार्य है। प्रार्थीगण ने एवं उनके पिता ने उक्त विवादित भूमि को कृषि योग्य बनाने में काफी रूपया पैसा खर्च किया है और कढी मेहनत करके उसको उपजाउ बनाया है और उस पर विकास कार्य करवाये हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तताान में अप्रार्थी क्रम 1 उक्त आराजी का खातेदार है और एक आवंटी का आवंटन खातेदारी मिलने के बाद भी निरस्त किया जा सकता है। जैसा कि आर.टी.एक्ट. की धारा 63(9) में इस बाबत् उल्लेख किया गया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि ग्राम बापोती की आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 5 बीघा का आवंटन अपूर्ण कोरम से किया है, आवंटन प्रार्थना पत्र में पटवारी ने 2 बीघा भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र दिया परन्तु 2 बीघा के वजाय 5 बीघा आवंटन कर दी गई। आवंटन के समय अप्रार्थी के पास 10 बीघा भूमि थी खाता नम्बर 5 में 15 बीघा में 1/2 हिस्सा 7.10 बीघा व 3.15 बीघा उसके खाते में कुल 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी। भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। अतः आवंटन निरस्त फारमावें। मैं (प्रार्थी) इस 5 बीघा आवंटित भूमि पर पूर्वजों के समय से कबिज चल रहा हूँ। आवंटन की शर्तो की पालना आवंटी ने नहीं की है। आवंटन के तुरन्त बाद 50 प्रतिषत भूमि प्रथम वर्ष व दूसरे वर्ष 3/4 भूमि व तीसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि काष्त करनी चाहिए थी। इसलिए भी यह आवंटन निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के पास केवल यही आराजी है। अन्य कोई भूमि नहीं है। अतः अप्रार्थी का आवंटन निरस्त फरमावें।

हमने विद्वान वकील प्रार्थी के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की इसके समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा अन्य साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी आवंटी के खाते में अधिक भूमि होना व आवंटन के लिए पात्र नहीं होना बताया है। परन्तु पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज जमाबन्दी की नकल आदि साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी आवंटी को खातेदारी भी प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्व होता हो कि आवंटी भूमि आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने सम्बधी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। आवंटी को खातेदारी भी प्राप्त हो चुकी है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन के सम्बन्ध में कोई अनियमित्ता या विधिक त्रृटि नहीं पाये जाने, आवंटन शर्तो की पालना नही करने का कोई साक्ष्य पेश नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

शाहाबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.04 13:41:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: